

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22072023-247545
SG-DL-E-22072023-247545

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]	दिल्ली, शक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 160
No. 229]	DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945	[N. C. T. D. No. 160

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

सं. फा. 7/ईएम (बीएन)/सीआई/12-13/548-558.-जबकि कंझावला औद्योगिक एस्टेट को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 141(अ) दिनांक 7 फरवरी 2007 द्वारा औद्योगिक उपयोग क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था ।

इसलिए, अब दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन और रखरखाव अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उपधारा (k) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा कंझावला औद्योगिक एस्टेट को दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन और रखरखाव (सीआईडीओएम) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
देशराज सिंह, उपायुक्त उद्योग (नीति)

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th July, 2023

No. F. 7/EM(BN)/CI/12-13/548-558.—Whereas Kanjhawala Industrial Estate was declared as Industrial Use Zone vide Notification No. 141 (E) dated 7th February, 2007, issued by Ministry of Urban Development, Govt. of India.

Therefore, now in exercise of powers conferred under sub section (k) of Section 2 of the Delhi Industrial Development Operation and Maintenance Act, 2010, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby declares the Kanjhawala Industrial Estate to be developed as Industrial area as per provisions of the Delhi Industrial Development Operation & Maintenance (DIDOM) Act, 2010.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

DESH RAJ SINGH, Dy. Commissioner of Industries (Policy)